कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 07453-230410, Fax No. 07453-230244

क्रमांक एफ( ) एफ.सी.ए./उवस/16–17/ 3472 दिनांक :– 12.4.19

निमित्तः–

अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहाबाद।

विषय :– जनपद बारां में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत जलवाडा से किशनपुरा तक सडक निर्माण हेतु 2.96 है. वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु सैद्वान्तिक स्वीकृति पालना रिपोर्ट। (**प्रकरण संख्या** FP/RJ/ROAD/6954/2014)

संदर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्र कमांक 08–बी/राज/ 06/04/2015/एफ.सी. /254 दिनांक 23.08.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृति में अंकित शर्तो की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके

बिन्दु संख्या (1) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जावेगा इस आशय की अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करें।

बिन्दु संख्या (2) वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.96 हेक्टर पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.96 हैक्टेयर **164100/–** रू. प्रति हैक्टेयर की दर से **485736/–** रू. केम्पा नई दिल्ली मे आनलाइन जमा करा रसीद इस कार्यालय मे प्रेषित करे।

बिन्दु संख्या (3) माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रू. (2.96 ha x Rs 6.26 Lakh Per ha.) की दर से राशि रूपये **1852960–** केम्पा नई दिल्ली मे आनलाइन जमा करा रसीद इस कार्यालय मे प्रेषित करे।

बिन्दु संख्या (4) शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई राशि के भुगतान को जमा कराने हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करें।

बिन्दु संख्या (5) वन क्षेत्र में 4 फिट ऊंचे आर.सी.सी. पिल्लरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करें।

बिन्दु संख्या (6) वन क्षेत्र में मक डिस्पोजल योजना बनाकर इस कार्यालय से स्वीकृत कराकर प्रेषित करने हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करें।

बिन्दु संख्या (7) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनो तरफ तथा बीच में यदि उपलब्ध है तो वृक्षारोपण करने हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करें।

बिन्दु संख्या (8) के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा–निर्देशों की पालन हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करें।

बिन्दु संख्या (9) भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांन्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रो की प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।

भवदीय

(महेश चन्द गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

कमांक एफ( ) एफ.सी.ए./उवस/19–20/ दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) राजस्थान जयपुर।

2.संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।

3.अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत बांरा

4.सहायक वन संरक्षक बारां/ क्षेत्रीय वन अधिकारी नाहरगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि प्रस्तावित प्रकरण मे विधिवत स्वीकृति जारी होने तक वन संरक्षण अधिनियम1980 का उल्लघंन न हो यह सुनिश्चित करे।

(महेश चन्द गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां